फा.एफ.1/3(1)/2023-भ.IV

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-IV अनुभाग

पद का नाम	केंद्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय में विपणन विशेषज्ञ / अर्थशास्त्री के पद की एक (अनारक्षित) रिक्ति प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।
विज्ञापन सं.	02/2023
रिक्ति सं.	23010201428

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 22.03.2024 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक 01.04.2024 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- **11** आवेदकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। उन सभी की जांच की गई है। इनमें से **01** आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अन्य की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है।
- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में बदलाव किया गया है। तदनुसार, आवेदनों की संशोधित जांच इस प्रकार है:-

लघुसूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	**अ.यो.-क + अ.यो.-ख**
	ईडब्ल्यूएस	-
	अ.पि.व.	-
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघुसूचीबद्ध उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	**अनुक्रमांक**	27 & 65. **(02 उम्मीदवार)**

: अस्वीकृत :

लघुसूचीबद्ध नही किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	**अस्वीकृत श्रेणी**	**अनुक्रमांक**
	एलईक्यू-क	003, 005, 007, 008, 010, 011, 014, 017, 020, 021, 024, 026, 035, 037, 039, 040, 042, 044, 046, 047, 051, 053, 054, 055, 057, 060, 061, 063, 064, 066, 071, 072, 073, 074, 076, 077, 078, 079, 080, 082, 083, 084, 086, 088, 093, 094, 095, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 117, 119, 120 & 122. **(66 उम्मीदवार)**

अभय
25/04/2024

	एलईक्यू-ख	001, 002, 004, 006, 009, 012, 013, 015, 016, 018, 019, 023, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 036, 038, 041, 043, 045, 048, 049, 050, 052, 056, 058, 059, 062, 067, 068, 069, 070, 075, 081, 085, 087, 089, 090, 091, 092, 096, 103, 111, 112, 113, 114, 118, 121 & 123. **(53 उम्मीदवार)**
	:अपूर्ण:	
	अनुभव प्रमाण-पत्र ओआरए में किए गए दावे से से मेल नहीं खाता	76. **(01 उम्मीदवार)**
	अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया है।	25. **(01 उम्मीदवार)**

अपनाए गए मानदंड	(i) संवीक्षा पहले, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में दी गई जानकारी / किए गए दावे के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई संवीक्षा रिपोर्ट के आधार पर और तत्पश्चात केवल उन्हीं उम्मीदवारों, जो प्रथम दृष्ट्या ऑन-लाइन आवेदन में दी गई जानकारी /किए गए दावे के आधार पर पात्र पाए गए हों,के ऑन-लाइन भर्ती आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के अनुसार ऑन-लाइन की गई है। (ii) अनिवार्य प्रमाण-पत्र संलग्न किए जाने पर ही उम्मीदवारों द्वारा दावा कीगईसंपूर्ण अनुभव पर विचार किया गया है। (iii) संवीक्षा, पद के विज्ञापन में दी गई शर्तो और पद के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक और अनुभव संबंधी योग्यता के आधार पर की गई है। (iv) **विपणन** के अतिरिक्त अन्य विषय में **एमबीए** और **व्यवसाय अर्थशास्त्र** के अतिरिक्त अन्य विषय में मास्टर **डिग्री** को संगत नही माना गया है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र को संगत नहीं माना गया है। (v) केंद्र सरकार, या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या संविधिक या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में **कृषि** या **बागवानी उत्पादों के विपणन** या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। (vi) ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में दावा किए गए अनुभव पर ही संवीक्षा हेतु अनुभव के रूप में विचार किया गया है और ओआरए के अनुभव कॉलम में इसके संदर्भ के बिना संलग्न प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है।

अमय
25/04/2024

(vii) ऐसे उम्मीदवार जिनके पास संगत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं नहीं हैं, उन्हें **"एलईक्यू-क"** के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया हैं। इसी प्रकार, यदि अनिवार्य अनुभव (अ॰यो॰-ख) पद के भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में नहीं है या संगत अनुभव निर्धारित अवधि से कम है; ऐसे उम्मीदवारों को **"एलईक्यू-ख"** के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

(viii) विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र पर विचार किया गया है। तथापि, जहां कही उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किएहैं, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार विचार किया गया है। तथापि, जिन उम्मीदवारों ने उनमें किसी अनुबंध का उल्लेख किया हैं और उसे जमा नहीं किया है, उन्हें **'अपूर्ण'** के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है।

(ix) ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन, जिन्होनें अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड/ प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनके आवेदनों को **'अपूर्ण'** के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है। कार्य की प्रकृति स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करने वाले अनुभव प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है और **'अपूर्ण'** के रूप में अस्वीकार कर दिया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होनें संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नही करता है, तो उन्हें **'अपूर्ण'** के रूप में अस्वीकार किया गया है।केवल संगत अनुभव की समय अवधि, जिसके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र अपेक्षित/संगत अनुभव को इंगित करता है, पर विचार किया गया है।

(x) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्र और उम्मीदवार द्वारा स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र और स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को संगत अनुभव की कमी के रूप में माना गया है लेकिन **'अपूर्ण'** श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।

(xi) अंश कालीन / प्रति घंटे के आधार पर / दैनिक मजदूरी / प्रशिक्षु / प्रशिक्षु / परामर्शदाता / मानद / स्वैच्छिक / कैजुअल / इंटर्नशिप अवधि / स्व-रोजगार को अनुभव की गणना करते समय गिना नहीं जाएगा। संगत क्षेत्र में संविदा आधार पर अनुभव पर विचार किया गया है।

(xii) कुछ उम्मीदवारों को एकाधिक श्रेणी के तहत अस्वीकार किया जा सकता हैं। उन्हें सबसे उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया हैं।

टिप्पणी: आयोग द्वारा मामला दर मामला आधार पर मोडेलिटी निर्धारित की जाती है।

<u>**संकेतक:**</u>

एलईक्यू-क - अनिवार्य योग्यता - शैक्षणिक (क) में कमी

एलईक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता - अनुभव (ख) में कमी

25/04/2024

(ए.एन.मिश्रा)

उप सचिव (भ.-IV)

दूरभाष सं.: 011-23383766

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।